कार्यवाही मय मुद्रणु, न्याय हस्ता0 जज
मूल विविध सिविल प्रकरण संख्या 186 / 2018
छोटूराम बनाम राजस्थान राज्य आदि

01.06.18

विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान उपस्थित।

बहस बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा अभी तक उसके प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि पट्टेशुदा व कब्जेशुदा भूमि है जिसके संबंध में उसने समस्त दस्तावेजात पेश किये है। अप्रार्थीगण के द्वारा पेश किया गया न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता क्योंकि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त unauthorised occupants के संबंध में है जबकि वह विवादग्रस्त भूमि का स्वामी है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान यह तर्क दिया कि उक्त भूमि गोचर भूमि है जिस पर प्रार्थी का कोई लीगल कब्जा नहीं है तथा पूर्व में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोचर भूमि पर Illegal encroachment के हटाने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये, इसलिये प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उसका अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2011 Supreme Court 1123 Jagpal Singh and Ors. Vs. State of Punjab and Ors. पेश किया गया।

बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

न्यायालय के विनम्र मत में जहां तक प्रार्थी का विवादित भूखण्ड पर कब्जा का प्रश्न है, तो यह निर्विवादित है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के कब्जा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के संबंध में अपना पट्टा व विवादग्रस्त स्थल के फोटोग्राफ पेश किये है। अप्रार्थीगण की तरफ से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है तथा ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि गोचर भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश किये गये है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रकरण के इस स्तर पर तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली का अवलोकन करने पर गुणावगुण पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी किये बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा निवेदित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने तक विवादग्रस्त परिसर से प्रार्थी को बेदखल करने अथवा विवादग्रस्त परिसर में कोई तोड़–फोड़ अथवा निर्माण कार्य करने से निषिद्ध किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जवाब दरख्वास्त दिनांक 3/8/18 को पेश हो।

सिविल न्यायाधीश बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय बीकानेर

Scanned by CamScanner